



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3041]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938

No. 3041]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4157(अ).—केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2016 के का.आ. 126(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त आदेश में, प्रस्तावना में, पैरा 4 में, '30 जून, 2016 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '31 मार्च, 2017 तक' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2016 के का.आ. सं. 126(अ) के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तथा दिनांक 28 जून, 2016 के का.आ. सं. 2224(अ) तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के का.आ. सं. 3095(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES**ORDER**

New Delhi, the 23rd December, 2016

S.O. 4157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) *vide* number S.O. 126 (E), dated the 14th January, 2016, namely:-

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters “upto 30th June, 2016”, the words, figures and letters “upto 31st March, 2017” shall be substituted.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 126(E), dated the 14th January, 2016 and subsequently amended *vide* Notification number S.O. 2224(E) dated 28th June, 2016 and S.O. 3095(E), dated the 30th September, 2016.